

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : ०१ / यो०ब०-२२/२०२०- ३६९

दिनांक :- २९.०६.२०२२

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी/
गुमला वन प्रमंडल, गुमला/ लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/सिमडेगा वन
प्रमंडल, सिमडेगा/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/ दुमका वन प्रमंडल,
दुमका/ पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/ साहेबगंज वन प्रमंडल,
साहेबगंज/पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा/सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा/
कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा/ सरायकेला वन प्रमंडल,
सरायकेला/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल,
राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल,
सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल,
लातेहार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में
कार्यान्वयित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना
(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर
पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण एवं
पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बौंस गैबियनसे वृक्षारोपण का सम्पोषण
कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल रु० 233.065 लाख (दो करोड़ तैनीस लाख
छ: हजार पाँच सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online
Sub Allotment)।

प्रसंग:- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-२५/२०२०-३५/र्खी० व०प०
दिनांक-१८.०३.२०२१ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो० बजट-२५/
२०२०-०७/आ० व०प० दिनांक-२३.०६.२०२२।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष २४०६-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- ७९६-जनजातीय क्षेत्र
उपयोजना, उप शीर्ष-५९-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2022-23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 233.065 लाख (दो करोड़
तैनीस लाख छ: हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में
किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179659010103	196.696
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179659010323	36.369
कुल :-		233.065

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क से ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क से ख) एवं ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060179659010103 तथा 19S24060179659010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार सहित के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्ग दर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, बन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

2

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक / वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

10. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020—21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

11. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक रसाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(VIII) कंडिका— VII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(IX) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम रूप से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

12. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं हैं, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

13. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मारक का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हो।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

17. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-झापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

19. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

20. रवीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

21. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

22. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(ii) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iii) Master Roll में अन्य द्व्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(v) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।


m

(ix) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(x) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22 / 2020— 369 दिनांक— 29.06.2022

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ मेदिनीनगर/ दुमका/ देवघर/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, राँची/ पी0एम0यू0 सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22 / 2020— 369 दिनांक— 29.06.2022

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ खूंटी/ गुमला/ लोहरदगा/ सिमडेगा/ लातेहार/ दुमका/ पाकुड़/ साहेबगंज/ चाईबासा/ सरायकेला/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पश्तट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)
हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	1000	3.759	0.695	4.454
2	खूँटी वन प्रमण्डल	1000	3.759	0.695	4.454
3	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	1000	3.759	0.695	4.454
4	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	1000	3.759	0.695	4.454
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	1000	3.759	0.695	4.454
6	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	1000	3.759	0.695	4.454
7	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	1000	3.759	0.695	4.454
8	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	1000	3.759	0.695	4.454
9	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	1000	3.759	0.695	4.454
10	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	1000	3.759	0.695	4.454
11	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	1000	3.759	0.695	4.454
12	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	1000	3.759	0.695	4.454
13	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	4000	15.035	2.780	17.815
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1000	3.758	0.695	4.453
15	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	1000	3.758	0.695	4.453
16	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1000	3.758	0.695	4.453
योग :-		19000	71.417	13.205	84.622




अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथरट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैवियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैवियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			375.88	69.50	445.38
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	3000	11.276	2.085	13.361
2	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	2000	7.517	1.390	8.907
3	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	2200	8.269	1.529	9.798
4	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	1200	4.511	0.834	5.345
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	1200	4.511	0.834	5.345
6	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	2200	8.269	1.529	9.798
7	पाकुड वन प्रमण्डल, पाकुड	2200	8.269	1.529	9.798
8	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	2200	8.269	1.529	9.798
9	पोङ्गाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	1000	3.759	0.695	4.454
10	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	1200	4.511	0.834	5.345
11	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	1200	4.511	0.834	5.345
12	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	2000	7.517	1.390	8.907
13	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	4000	15.035	2.780	17.815
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	2200	8.269	1.529	9.798
15	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	1200	4.511	0.834	5.345
16	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	2330	8.758	1.619	10.377
17	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	2000	7.517	1.390	8.907
योग :-		33330	125.279	23.164	148.443



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— पश्चाट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित — गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार — उपर का व्यास रींग 2'.5"
 बीच का व्यास रींग 2'.0" एवं नीचे का व्यास रींग
 1'.5", कंचाई — जमीन रो उपर 5'.3" तथा एक
 फीट गहरा जमीन में एवं 9" की पत्ती मुड़ी जो
 आगे रो कटी हुई हो।


स्पेसिंग — पंचित से पंचित की दूरी — 3 मी०

कार्य दर — एक गैबियन

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

मजदूरी प्रति मानव दिवस: 326.85 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्याप (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की रिश्ति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	49.03	4.50	53.53	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	163.43	5.00	168.43	
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	163.43	60.00	223.43	
	योग		1.15	375.88	69.50	445.38	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु०-(ख)

योजना का नाम— पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैवियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस—गैवियन का आकार: 6'-6" x 2'-6" x 2'-6"
2. रेप्रेसिंग — पंकिल से पंकित की दूरी — 3 मी०
3. मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 326.85 रुपये पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	साप्री (रु० में)	कुल चार्य (रु० में)	आभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक), पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर से। भूत पौधों का बदलाव	प्रति गैवियन	0.15	49.03	4.50	53.53	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला छारा)	प्रति गैवियन	0.50	163.43	5.00	168.43	
3	बाँस गैवियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	163.43	60.00	223.43	
	योग		1.15	375.88	69.50	445.38	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

वार्ता वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु नियन्त्रिकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आर्डिट की जाती है।

पत्र संख्या :- 01/YB-22/2020-1/369

दिवांग

29-Jun-2022

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33509	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	1,503,500.00 रुपये पंद्रह लाख तीन हजार पौँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33510	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	1,127,600.00 रुपये चारह लाख सत्ताइस हजार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33511	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	1,202,800.00 रुपये बारह लाख दो हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

ਫੁਲੇ ਅੜਤੀਸ ਲਾਲ ਟੈਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜੌ ਸੌ

कल्पित रोता-

3,833,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33513	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICEF 03 - मजदूरी	827,000.00 रुपये आठ लाख सत्ताइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33519	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	827,000.00 रुपये आठ लाख सत्ताइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33521	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	375,900.00 रुपये तीन लाख पचाहतर हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये अटावन लाख तीरसठ हजार आठ सौ

2,029,900.00

क्रमिक योगः

5,863,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL POCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33523	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 03 - मजदुरी	1,202,800.00 रुपये बारह लाख दो हजार आठ सौ
8	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33524	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदुरी	1,202,800.00 रुपये बारह लाख दो हजार आठ सौ
9	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन गांव भत्ते	33525	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदुरी	826,900.00 रुपये आठ लाख छब्बीस हजार नौ सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः				
रुपये नब्बे लाख छयानवे हजार तीन सौ				
 (NAND KISHORE SINGH)				
ADDI PCCE DEV JHARKHAND RANCH				
3,232,500.00 9,096,300.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33526	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 03 - मजदूरी	751,800.00 रुपये सात लाख इकायन हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33527	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS 03 - मजदूरी	827,000.00 रुपये आठ लाख सत्ताइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33528	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 03 - मजदूरी	827,000.00 रुपये आठ लाख सत्ताइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०४

रुपये पाक करोड़ पंचाल लाख हो हजार पक सौ

2,405,800.00

www.EasyEngineering.net

11,502,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	33529	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदुरी	1,127,600.00 रुपये ग्यारह लाख सत्ताइस हजार स्त्री
14	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	33530	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदुरी	3,007,000.00 रुपये तीस लाख सात हजार
15	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	33531	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO,SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदुरी	375,800.00 रुपये तीन लाख पचाहत्तर हजार आठ सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः				
रुपये एक करोड साहाठ लाख बारह हजार पाँच सौ				
<i>m</i> (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEO JHARKHAND				
रुपये एक करोड साहाठ लाख बारह हजार पाँच सौ				
16,012,500.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33532	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	826,900.00 रुपये आठ लाख छब्बीस हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33534	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	451,100.00 रुपये चार लाख इकावन हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33535	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	1,251,600.00 रुपये बारह लाख इकावन हजार छँटा
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

४०८

સાથે પણ કાશેન પિત્તાપણે લાગ વાગલીસ હંદાર પણ સૌ

कल्पिक योगा

2,529,600.00

18,542,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33537	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदूरी	1,127,500.00 रुपये रुपये रुपये लाख सत्ताइस हजार पैसे सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33539	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	278,000.00 रुपये दो लाख अठहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33540	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	208,500.00 रुपये दो लाख आठ हजार पैसे सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

सुपर्ये हो करोड़ एक लाख सूचना हजार एक सौ

कामिक योगः

1,614,000.00

20 156 100.00

(NAND KISHORE SINGH)

DOI: BGCE DEV-JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33542	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	222,400.00 रुपये दो लाख बाइस हजार चार सौ
23	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33544	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICEF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	152,900.00 रुपये एक लाख बावन हजार नौ सौ
24	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33545	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	152,900.00 रुपये एक लाख बावन हजार नौ सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः		रुपये दो करोड छ: लाख चौरासी हजार तीन सौ		528,200.00
				20,684,300.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PGCE DEPT. JHARKHAND	
			RANCH	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33546	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	69,500.00 रुपये उनहस्तार हजार पौँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33548	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	222,400.00 रुपये दो लाख बाइस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33551	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	222,400.00 रुपये दो लाख बाइस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

—३२—
—३३—
—३४—
—३५—
—३६—
—३७—
—३८—
—३९—
—३१—

कल्पिक योगः

514 300 00

21,198,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33553	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	152,900.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33557	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	139,000.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33561	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	152,900.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये दो करोड़ सोलह लाख तीरयालीस हजार चार सौ 444,800.00

क्रमिक योगः

21,643,400.00

(NANO KISHORE SINGH)
ADDL PCCP DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33562	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	152,900.00 रुपये एक लाख बावन हजार नौ सौ
32	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33565	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	208,500.00 रुपये दो लाख आठ हजार पाँच सौ
33	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33567	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	556,000.00 रुपये पाँच लाख छप्पन हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः				917,400.00 22,560,800.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND RANCH	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33570	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	69,500.00 रुपये उनहस्तार हजार पॉच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33572	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	152,900.00 रुपये एक लाख बावन हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33575	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	83,400.00 रुपये तिरयासी हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

गुरु

रुपये दो करोड अटाइस लाख छाप्ठ हजार छः सौ

क्रमिक योगः

305,800.00

22,866,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33576	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	रुपये दो लाख इकलीस हजार चार सौ

State Scheme :	NA			
Central Scheme :	NA			
38	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33578	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF	रुपये दो लाख आठ हजार पाँच सौ
State Scheme :	NA			
Central Scheme :	NA			

योगः

रुपये दो करोड तैतीस लाख छ: हजार पाँच सौ

439,900.00

क्रमिक योगः

23,306,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE/DEV JHARKHAND